

## कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ — /2016, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 23, 2016

### आदेश

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली, 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह सितम्बर 2016 के लिए युगल पीठ गठन सम्बन्धी पूर्व निर्गत आदेश संख्या 1847/2016 दिनांक 01.08.2016 के माध्यम से विभिन्न कार्य अवधियों में भिन्न भिन्न स्थानों पर गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्यगण की स्थिति कालम-5 के अनुसार निम्नवत् रहेगी:-

क0सं0	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्यगण
1.	2	3	4	5
1	पीठ-1 आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	05.09.16 से 09.09.16	सदस्य पीठ-1 आगरा
	पीठ-1 आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	26.09.16 से 30.09.16	सदस्य पीठ-2 आगरा
2	पीठ-1 कानपुर	पीठ-1, 2, 3, व 4 कानपुर	05.09.16 से 09.09.16	सदस्य पीठ गोरखपुर
3	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	13.09.16 से 16.09.16	सदस्य पीठ-2 कानपुर
4	पीठ-1 मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	05.09.16 से 09.09.16	सदस्य पीठ अलीगढ
5	पीठ-1 लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	19.09.16 से 24.09.16	सदस्य पीठ-2 नोएडा
6	पीठ-1 वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	26.09.16 से 30.09.16	सदस्य पीठ अलीगढ
				सदस्य पीठ मुजफ्फरनगर
				सदस्य पीठ बरेली
				सदस्य पीठ-2 लखनऊ
				सदस्य पीठ-3 वाराणसी
				सदस्य पीठ-6 वाराणसी

पीठ गठन की अवधि में सम्बन्धित पीठ के पीठासीन अधिकारी अथवा नियमित प्रभारी सदस्य की अनुपलब्धता की स्थिति में युगल पीठ के नामित सदस्यों में से न्यायिक सदस्य, सम्बन्धित पीठ/पीठों के प्रभारी की हैसियत से विविध प्रकृति के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

सम्बन्धित को तदनुसार सूचित किया जाये।

sd-23/8/16

(डी0एस0 त्रिपाठी)

एच.जे.एस.

अध्यक्ष,

वाणिज्यकर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/2002 /2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- समस्त सदस्यगण को निर्देशानुसार इस आशय से प्रेषित कि युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले आगन्तुक सदस्य वाणिज्यकर अधिकरण के ठहरने की व्यवस्था स्थानीय सदस्य/प्रभारी सदस्य, अधिकरण द्वारा प्रत्येक दशा में अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये।
- वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबन्धक

वाणिज्यकर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।